भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

सं.ई(डब्ल्यू)2021/पीएस5-2/12 **नई दिल्ली, दिनांक 28.07.2021**

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: "इस्तेमाल पास/पीटीओ" शब्द का स्पष्टीकरण।

संदर्भ: पूर्व रेलवे का दिनांक 06.05.2021 का पत्र सं.ई.839/2/पॉलिसी/मिनिस्ट्रीयल स्टाफ।

पूर्व रेलवे के उक्त संदर्भित पत्र के संदर्भ में "इस्तेमाल पास/पीटीओ" शब्द की विवेचना मौजूदा पास नियमों के आलोक में की गई है कि इसका अभिप्राय पास/पीटीओ लेने से है अथवा वास्तविक रूप से यात्रा करने से है।

2. रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण-1993) [अर्थात अनुसूची-II के तहत सुविधा पास/पीटीओ से संबंधित सामान्य नियम की मद सं.3(xiii)] में उल्लेख किया गया है कि एक बार जारी सुविधा पास और पीटीओ, लेकिन जो इस्तेमाल न किए गए हों, को विशेष परिस्थितियों में लिखित में दर्ज करके वापस क्रेडिट किया जा सकता है। अतः यह प्रावधान स्वत: ही "जारी/लिए गए पास/पीटीओ और इस्तेमाल पास/पीटीओ" में अंतर स्पष्ट करता है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि पास/पीटीओ लेने से ही पास/पीटीओ का इस्तेमाल करना नहीं समझा जा सकता। यदि पास/पीटीओ पर टिकट बुक की गई हो और यात्रा की गई हो सिर्फ तभी इसे इस्तेमाल पास/पीटीओ समझा जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा निर्धारित न किया गया हो।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(महेश कुमार मीना)
संयुक्त निदेशक स्थापना (कल्याण)
रेलवे बोर्ड